1.63	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE OWNE	AND	J.M.	
	MARKET		स टी भवन / 2 nd Floor, GST Bl		
			। रोड / Race Course Ring Road	सत्यमेव	
	Tala		<u>कोट / Rajkot – 360 001</u>		
			952/2441142Email: cexappealsrajk	ot@gmail.com	
	<u>न्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा</u> :- अपील / फाइलसंख्या/	-	· _ · ·		
क	Appeal /File No.		मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date	
	V2/62/GDM/2018	8-19	08/GST/AC/2018-19	25-09-2018	
ख	अपील आदेश संख्या(Orde	er-In-Appeal No.):			
		KCH-EXCU	<u>S-000-APP-029-2020</u>		
	आदेश का दिनांक / Date of Order:	26.02.2020	जारी करने की तारीख / Date of issue:	26.02.2020	
	श्रीगोपी नाथ , आयुक्त ((अपील्स), राजकोट द्वारा पा	रित /		
	J	opi Nath, Commissione			
ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,				
व	Rajkot / Jamnagar / (अपीलकर्ता&प्रतिवादी का न		ess of the Appellant & Respondent :-		
	Vikas Fabricators & ErectorsPlot No. TCX-South 97 1st Floor, Near Shyam Sunder Laundry Gandhidham (Kutch)- 370201 इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any preson aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.				
(A)	सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35E के अंतगत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/				
	Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-				
(i)	वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/				
	The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.				
(ii)	- उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/				
<u>iii)</u>	To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2 nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संतग्ज करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/				
			Filed in quadruplicate in form EA-3 / a shall be accompanied against one 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 strar of branch of any nominated pul tor bank of the place where the bench ompanied by a fee of Rs. 500/-	as prescribed under Rule 6 o which at least should be /- where amount o Lac respectively in the form plic sector bank of the place h of the Tribunal is situated	
B)	अपीलीय न्यायाधिकरण के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T5 करें (उनमें से एक प्रति प्रमा जुर्माना,रुपए 5 लाख या उस रुपये अथवा 10,000/- रुप शाखा के सहायक रजिस्टार का भुगतान, बैंक की उस १ आवेदन-पत्र के साथ 500/-	समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी णित होनी चाहिए) और इनमें से ासे कम,5 लाख रुपए या 50 ला ग्ये का निर्धारित जमा शुल्क की के नाम से किसी भी सार्वजिनक ाखा में होना चाहिए जहां संबंधि रुपए का निर्धारित शुल्क जमा क	,1994 की धारा 86(1) के अंतगेत सेवाकर नि । एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की म ख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है . प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वार रेत अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है रना होगा ।/	यमवाली, 1994, के नियम 9(1) वे ो गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न गँग ,ब्याज की माँग और लगाया गय तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/ संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण के 1 किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्त । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिप	
	The appeal under sub in quadruplicate in I accompanied by a cc accompanied by a fee Rs. 5 Lakhs or less, F than five lakhs but demanded & penalty Assistant Registrar of attracted (Aspleration	o section (1) of Section 86 Form S.T.5 as prescribed opy of the order appeale stor Rs. 1000/- where the Rs.5000/- where the am not exceeding Rs. Fifty levied is more than fifty f the bench of nominated made for grant of starts	5 of the Finance Act, 1994, to the Apr d under Rule 9(1) of the Service Tab d against (one of which shall be ce he amount of service tax & interest do ount of service tax & interest demand Lakhs, Rs.10,000/- where the amou Lakhs rupees, in the form of crossed d Public Sector Bank of the place wh shall be accompanied by a fee of Rs.50	ellate Tribunal Shall be filed c Rules, 1994, and Shall be rtified copy) and should be leaded & penalty levied o lead & penalty levied is more int of service tax & interes 1 bank draft in favour of the ere the bench of Tribunal is 0/-	

م م वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वितीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाएँ, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
- सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (स. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
 For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

 amount determined under Section 11 D;
 amount of erroneous Cenvat Credit taken;
 amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
 provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कोपूनरीक्षण आवेदन : (C)

.

(i)

Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक क अंतर्गूतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मांग, नई

acent-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- (iii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलयन की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के (v) तोर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए । जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो (vi) तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

(F)

- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट (G)
 - www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

(ii)

(i)

ORDER-IN-APPEAL

M/s Vikas Fabricators & Erectors, Gandhidham [hereinafter referred to as "appellant"] has filed appeal No. V2/62/GDM/2019 against Order-in-Original No. 8/GST/AC/2018-19 dated 25.9.2018 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Asst. Commissioner, Central Goods and Service Tax, Urban Division, Gandhidham [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. IV/15-109/ST/Adj/17 dated 11.4.2017 was issued to the appellant for non payment of service tax. The adjudicating authority confirmed service tax demand of Rs. 49,37,767/- along with interest and imposed penalty vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the instant appeal.

The Appellant vide letter dated 26.12.2019 informed that they had opted for "Sabka 3. Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and requested to keep their appeal in abeyance. I find that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 8.1.2020 (SVLDRS-4) to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019 as conveyed by CGST, Gandhidham vide email dated 25.2.2020.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn. "

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

apla la a

(GOPI Commissioner(Appeals)

फब्रिकेटर्स अँड एरेक्टर्स,

लौंदरी के पास, गांधीधाम।

Attested

GN (V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

To,	सेवा में,
M/s Vikas Fabricators & Erectors Plot No. TCX South 97, 1 st floor,	मे. विकास फब्रिकेटर्स अँड एरेक्त
Near Shyam Sunder Laundry	प्लॉट न. टीसीएक्स साउथ 97,
Gandhidham, District Kutch.	श्याम सुंदर लौंदरी के पास, गांध

Page 3 of 4

प्रतिलिपि :-

- प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अर्बन मण्डल, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइलम् ____